


# कार्यालय:- जिला परिषद, लातेहार।

बालुमाथ पशु मेला (कार्तिक पूर्णिमा) की बन्दोबस्ती वर्ष 2017-18

क्र०	प्रखण्ड	निलामी हेतु बस पडाव का नाम	निमाली में भाग लेने हेतु जमानत की राशि	बस पडाव निलामी की तिथि	समय
1	2	3	4	5	6
1	बालुमाथ	बालुमाथ पशु मेला (कार्तिक पूर्णिमा)	47500.00	16.10.2017	11:00 बजे

नोट:-

1. निलामी की नियम एवं शर्तें कार्यालय के सूचना पट्ट पर कार्यालय अवधि में देखी जा सकती है। तथा NIC Latehar के वेबसाईट [www.latehar.nic.in](http://www.latehar.nic.in) पर भी उपलब्ध है।
2. निलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों के लिए स्थानीय प्रमाण पत्र/पहचान पत्र/आधार कार्ड की छायाप्रति (कोई एक) जमा करना अनिवार्य होगा। आवश्यकतानुसार मांगे जाने पर मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा।



उप विकास आयुक्त-सह-  
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,  
जिला परिषद, लातेहार।

# कार्यालय:- जिला परिषद, लातेहार।

## द्वितीय सूचना

एतद् द्वारा सभी आम एवं खास को सूचित किया जाता है कि प्रखण्ड बालुमाथ अवस्थित बालुमाथ पशु मेला (कार्तिक पूर्णिमा) सैरात की बन्दोबस्ती हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए खुली डाक द्वारा दिनांक 16/10/2017 को पूर्वाह्न 11:00 बजे उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद लातेहार के डी0आर0डी0ए0 स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में बन्दोबस्ती की जाएगी। जो व्यक्ति खुली डाक में भाग लेना चाहते हैं उक्त तिथि को डाक में भाग ले सकते हैं। उच्चतम डाक वक्ता को एक मुश्त सम्पूर्ण राशि उसी दिन जमा कर देनी होगी अन्यथा डाक रद्द करते हुए अग्रधन की राशि जब्त कर ली जाएगी।

उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद लातेहार को बिना कारण बताये डाक स्थगित करने का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।

क्र	सैरात का नाम	थाना	बन्दोबस्ती का तिथि	समय	वर्ष 2016-17 की बन्दोबस्ती की राशि	जमानत की राशि
1	बालुमाथ पशु मेला (कार्तिक पूर्णिमा)	बालुमाथ	16/10/2017	11:00 बजे	4,74,151.00	47,500.00


ह0/-

उप विकास आयुक्त-सह-  
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,  
जिला परिषद, लातेहार।

ज्ञापांक:- 1098 दिनांक:- 04-10-017

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष जिला परिषद, लातेहार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. उपाध्यक्ष, जिला परिषद, लातेहार को सूचनार्थ प्रेषित।
3. उपायुक्त, लातेहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. आरक्षी अधीक्षक, लातेहार को सूचनार्थ प्रेषित।
5. अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार को सूचना पट्ट पर प्रकाशनार्थ।
6. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बालुमाथ/ अंचल अधिकारी, बालुमाथ तथा जिला परिषद सदस्य, बालुमाथ (पश्चिमी) को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित।
7. थाना प्रभारी, बालुमाथ को नोटिस बोर्ड पर प्रकाशनार्थ।
8. जिला अभियंता, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
9. श्री बासुदेव साव, ग्राम गोबरी टोला बालुमाथ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



उप विकास आयुक्त-सह-  
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,  
जिला परिषद, लातेहार।